न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर, जिला बाड़मेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	अजिताभ आचार्य, आर.जे.एस. जिला न्यायाधीश संवर्ग
प्रकरण संख्या	:	301/2026 फौजदारी विविध (CIS No. 583/2026) (CNR No.RJBM010016622026)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	85/2016 कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, धोरीमन्ना वनमण्डल बाड़मेर, अपराध अंतर्गत धारा 9, 39, 51(1) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

(1.) गणपत पुत्र कलाराम,
(2.) देवाराम पुत्र मंगलाराम
(3.) रूगनाथराम पुत्र दाउराम
निवासीयान – भीलों की ढाणी, तेजे की ढाणी भलीसर तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :–

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से	:	श्री ईश्वर सिंह राठौड़, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री दामोदर कुमार चौधरी, लोक अभियोजक
परिवादी की ओर से	:	श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता

आदेश दिनांक : 23.07.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.07.2026 को सवेरे लगभग 1:15 ए.एम. बजे जगदीशचन्द्र ने क्षेत्रीय वन अधिकारी धोरीमना के मोबाईल पर सूचना दी कि तेजे की ढाणी भलीसर गांव के सरहद में दो चिंकारो का शिकार हुआ है, जिसकी सचूना प्राप्त होते तुरंत

क्षेत्रीय वन अधिकारी मय स्टॉफ को लेकर राजकीय वाहन आरजे 04 जीबी 6970 द्वारा घटनास्थल के लिए रवाना हुए। सड़क मार्ग से होते हुए तेजे की ढाणी भलीसर गांव में सूचना अनुसार कच्चे मार्ग होते हुए तेजे की ढाणी भलीसर में घटना स्थल मंगलाराम भील की रहवासी ढाणी के पास तेजे की ढाणी भलीसर पहुंचे, जहां कुछ ग्रामीण उपस्थित थे तथा रहवासी ढाणी के आगे दो चिंकारा जो मृत अवस्था में पड़े हैं पास में दो खाट व बिस्तर पडे हैं। मृत चिंकारो में एक मादा व एक नर है। मादा चिंकारे के सिर, मुंह, कान खून लगा हुआ है तथा नर चिंकारा की गर्दन मुड़ी हुई है तथा गर्दन पर खून लगा है। पास में झुनझुना वाली टॉर्च, सामान्य टॉर्च काले रंग की, जिसका सिरा पीले रंग का है, जिस पर खून लगा है, एक खून लगा लकड़ी का डंडा खून से सना शर्ट तथा एक मोटरसाइकिल पड़ी है, को राज कब्जे लिया गया तथा जांच प्राम्भ की। उपस्थित चश्मदीद जगदीशचन्द्र व हिमत कुमार ने बताया कि ये मृत चिंकारे उनके घर के पास से ही मारकर गणपत, देवाराम व रूगनाथराम लाए थे, जिन्हें उन्होंने मारते हुए देखा था तथा वहां से मोटरसाइकिल पर लेकर भागे तब वे इनका पीछा करते हुए यहां पहुंचे हैं। इत्यादि पर मुकदमा संख्या 85 दिनांक 10.07.2016 अपराध अंतर्गत धारा 9, 39, 51(1) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गणपत, देवाराम व रूगनाथराम को दिनांक 10.07.2026 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में भेजा गया, जिसके पश्चात् प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोरीमना के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 पेश किया गया, जिसे विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोरीमना द्वारा दिनांक 20.07.2026 को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गणपत, देवाराम व रूगनाथराम की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गयी। प्रकरण आपराधिक विविध दर्ज रजिस्टर किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

2. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि

प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गणपत, देवाराम व रूगनाथराम दिनांक 10.07.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी या अनुसंधान बकाया नहीं हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है। प्रकरण अभी अन्वेषणाधीन है, जिसके अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान् लोक अभियोजक एवं परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता ने उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदतन पेशेवर वन्य जीव अपराधी हैं जो अलग–अलग जगह जाकर चिंकारों का शिकार करते हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा जिन चिंकारों की मृत्यु कारित की गई है, वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 का प्राणी है तथा राजस्थान राज्य का राज्य पशु घोषित है। उनका यह भी तर्क रहा है कि संरक्षित वन्य जीवों का शिकार किए जाने से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि यदि इस तरह वन्य जीव अपराधों की जमानत स्वीकार की जाती है तो उनके हौंसलें बुलंद होंगे तथा भविष्य में भी वे ऐसे जीवों का शिकार कर उनकी सप्लाई का गंभीर अपराध कारित करेंगे। इस प्रकार उनका यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

3. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना तथा अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत S.B.Cri. Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिए गए निर्देशानुसार अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने का अंकन किया गया है।

क्र. सं.	मुकदमा संख्या व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	नतीजा
–	–	–	–	–

5. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन एवं मनन से यह जाहिर होता है कि जगदीशचन्द्र नामक व्यक्ति के द्वारा दिनांक 10.07.2026 को वन विभाग को यह सूचना दी गई कि तेजे की ढाणी भलीसर गांव के सरहद में चिंकारा का शिकार हुआ है, जहां कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं तथा रहवासी ढाणी के आगे दो चिंकारा जो मृत अवस्था में पड़े हैं पास में दो खाट व बिस्तर पड़े है। मृत चिंकारों में एक मादा व एक नर हैं। मादा चिंकारे के सिर, मुंह व कान खून लगा हुआ है तथा नर चिंकारा की गर्दन मुड़ी हुई है तथा गर्दन पर खून लगा हुआ है तथा पास में झुनझुना वाली टॉर्च, सामान्य टॉर्च काले रंग की जिसका सिरा पीले रंगा का है, जिस पर खून लगा है, एक खून लगा लकड़ी का डंडा, खून से सना शर्ट तथा एक मोटरसाइकिल पड़ी है। तत्पश्चात् चश्मदीद गवाहों द्वारा बताए गए संदिग्धों को दस्तयाब किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि दिनांक 10.07.2026 दस्तयाब कर पूछताछ करने पर अभियुक्त गणपत ने अन्य अभियुक्तगण देवाराम और रूगनाथराम के साथ मिलकर चिंकारा का शिकार किए जाने का जुर्म स्वीकार किया है। प्रस्तुत प्रकरण में दो चिंकारा मृत, मोटरसाइकिल, झुंझुना लगी टॉर्च आसमानी रंग का, एक टॉर्च जिस पर खून लगा हुआ, खून से सना शर्ट व खून लगा लकड़ी का डण्डा जब्त किया गया है, परंतु जब्तशुदा टॉर्च, शर्ट एवं लकड़ी के डण्डे पर लगा खून उक्त मृत चिंकारा का ही हो, इस संबंध में विशेषज्ञ की राय हेतु उक्त जब्तशुदा सामग्री को जांच हेतु एफएसएल भेजा गया हो, यह जाहिर नहीं होता है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज या लंबित नहीं है और न ही कोई सजायाफ्ता रेकर्ड है। प्रकरण में अनुसंधान तथा विचारण में समय लगने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गणपत पुत्र कलाराम, देवाराम पुत्र मंगलाराम व रूगनाथराम पुत्र दाउराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त एक लाख रुपए का स्वयं का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रुपए की दो मौतबीर जमानतें प्रकरण के विचारण के मध्य नियमित रूप से उपस्थिति हेतु विद्वान् न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 85/2016 कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, धोरीमना वनमण्डल बाड़मेर अपराध अंतर्गत धारा 9, 39, 51(1) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

7. आदेश आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजिताभ आचार्य)
सेशन न्यायाधीश, बाड़मेर
जिला बाड़मेर

VINITA DHANWANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by VINITA DHANWANI
Date: 2026.07.27 10:13:40 +0530